

(2)

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
भारत
सत्यमेव जयते, भोपाल - 462004
=====

क्रमांक - एक 73 - 60/20-3/2003

भोपाल, दिनांक -

प्रति,

साहिब,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
छात्रवृत्त प्रीत विहार, नई दिल्ली.

विषय :- अशासकीय विद्युत् बलिक स्कूल बान्पुर, बिना भोपाल, मध्यप्रदेश -
को सी.बी.एन.ई. / आई.सी.एस.ई. से सम्बद्धता हेतु एन.ओ.सी.
देने बाबत ।

== 00 ==

राज्य शासन द्वारा अशासकीय विद्युत् बलिक स्कूल बान्पुर, बिना भोपाल, मध्यप्रदेश
को सी.बी.एन.ई. / आई.सी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण
पत्र विशेष प्रेषण मानकर निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है :-

01. संस्था को अपनी कार्य समिति में एक प्रतिनिधि जिला शिक्षा अधिकारी
को स्वयं को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना होगा तथा दूसरे
प्रतिनिधि के रूप में माध्यमिक शिक्षा मण्डल के पंचोपक {परीक्षा} को
या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना अनिवार्य है ।
02. नीतिगत निर्णयों में इन दोनों मनोनीत सदस्यों को आमंत्रित करना
होगा ।
03. मध्यप्रदेश शासन द्वारा शिक्षा के प्रचार - प्रसार के लिए लिये गये निर्णयों
में यदि संस्था से किन्हीं कार्यों की अपेक्षा की जाती है तो ऐसे कार्यों
को संस्था को करना होगा ।
04. खेलकूद गतिविधियों में यदि संस्था चाहे तो सदस्यता ग्रहण कर सकता
है । परन्तु ऐसा न होने पर भी यदि मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
को इनके किसी खेल परिसर या भवन की आवश्यकता पड़ती है तो
अपलब्ध कराना होगा ।

निरन्तर 2 पर. . . .

05. राष्ट्रीय कार्यक्रमों को संवाचित करने के लिए यदि संस्था या भवन या स्टाफ की सेवाओं की आवश्यकता होगी तो उन्हें उपलब्ध कराना होगा ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
लथा आदेशानुसार

। अर. अर. उदितवार ।

अवर सचिव
मोप्रो शासन, स्कूल शिक्षा विभाग


पृष्ठसंकेत क्रमांक एक 73- /20-3/2003
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक- 29-12-2003

1. आयुक्त, लोक शिक्षण, मोप्रो भोपाल ।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला - **भोपाल, मध्य प्रदेश ।**
3. प्राचार्य, अज्ञात विपुलत बालिक स्कूल मानपुर, जिला भोपाल, मोप्रो को ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु अर्पित है ।



अवर सचिव 29/12/03

 मोप्रो शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
29/12/03

//मानकर//
28.06.03